भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3954
दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की स्थिति

3954. श्री राजीव रायः
श्री भर्तृहरि महताबः
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;
(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कितने घरों को नल से जल आपूर्ति से जोड़ा गया है;
(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) मऊ और भंडारा जिलों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल के माध्यम से पर्याप्त पेयजल कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;
(च) जलपाईगुड़ी में जेजेएम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
(छ) सरकार द्वारा ओडिशा के बाढ़ प्रवण जिलों में जल जीवन मिशन को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) माह अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, देश में केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक,

दिनांक 17.12.2024 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है कि जेजेएम के तहत लगभग 12.13 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 17.12.2024 की स्थिति के अनुसार, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.36 करोड़ (79.37%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध** में है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2024-25 में, दिनांक 17.12.2024 की स्थिति के अनुसार क्रमश: देश के 74.47 लाख ग्रामीण परिवारों और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 6,937 ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के साथ नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार ने माह अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

माह अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, मऊ जिले में केवल 1273 (0.48%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 17.12.2024 की स्थिति के अनुसार, लगभग 2.27 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 17.12.2024 की स्थिति के अनुसार, मऊ जिले के 2.64 लाख ग्रामीण परिवारों में से 2.28 लाख (86.24%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ङ) राज्यों के साथ हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के अनुसार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों की कार्यपरिपूर्णता की समय-सीमा क्रमश: माह मार्च, 2026 और जून, 2025 है।

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा निगरानी करने और उनके पथप्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में जल जीवन मिशन की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-*

साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, योजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करना, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्रीय दौरे आदि शामिल हैं। पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी लाने के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदर्शित करता है।

चूंकि पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए जिला-स्तरीय निधि आबंटन सहित ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(छ) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यसंबंधी दिशानिर्देश के अनुसार, बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है:

i.) **अवसंरचना आयोजना:** बाढ़-प्रवण, भूस्खलन-प्रवण और भूकंपीय क्षेत्रों से बचने के लिए शोधन संयंत्रों, जलाशयों और पाइपलाइनों जैसी जल आपूर्ति अवसंरचना हेतु स्थानों का चयन। बाढ़ अथवा कीचड़ के बहाव के दौरान पाइपलाइनों को बचाने के लिए इनकी प्रभावी रूप से संस्थापना।

ii.) **सुरक्षा मानकों का अनुपालन:** यह सुनिश्चित करना कि सभी ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और केंद्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाए।

iii.) **जन सहभागिता:** आपदा आयोजना में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और कमियों का चिह्नित करना तथा अवसंरचना हेतु स्थल चयन के अनुकूलन हेतु उनके ज्ञान का उपयोग करना।

iv.) **आपदा तैयारी:** चिह्नित टिकाऊ जल स्रोतों और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र वाली आकस्मिक आयोजनाएं तैयार करना, जिनमें मोबाइल जल शोधन संयंत्र और आपातकालीन जल आपूर्ति किट शामिल हों।

v.) **आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय:** आपदाओं के दौरान पूर्वनिर्धारित आपातकालीन जल आपूर्ति किट नियोजित करना और मोबाइल जल शोधन इकाइयाँ स्थापित करना। जलजनित रोगों की निगरानी और रोकथाम के लिए जल गुणवत्ता निगरानी का संचालन करना।

vi.) **आपदा के बाद पुनर्निर्माण:** भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए, "बेहतर निर्माण करें" सिद्धांतों पर ध्यान देकर क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति प्रणालियों की बहाली को प्राथमिकता देना।

vii.) **जेजेएम निधि का उपयोग:** राज्य जेजेएम के वार्षिक आवंटन का 25% फ्लेक्सी फंड के रूप में उपयोग कर सकता है और प्राकृतिक आपदा के बाद तत्काल बहाली के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) का भी उपयोग कर सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती

है कि वे प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों और आंतरिक अशांति की वजह से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों/मुद्दों से निपटने के लिए जेजेएम के तहत वार्षिक आवंटन का कम से कम 5% अलग रखें और यदि वित्तीय वर्ष के अंत में यह अप्रयुक्त रहता है तो उस वित्त वर्ष के अंत में कवरेज के लिए उसका उपयोग राज्य द्वारा किया जा सकता है।

viii.) **आपदा उपायों का एकीकरण:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 खंड 2 (ख) के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है कि आपदा शमन उपायों को परियोजना डिजाइनों में शामिल किया गया हो और सभी नए जल अवसंरचना विकास कार्यों में आपदा में लचीला रुख अत्यंत महत्वपूर्ण है।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3954 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल जीवन मिशन: वर्ष 2024-25 के दौरान आबंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित निधि और संसूचित उपयोग विवरण

(16.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.97	2.98	एनडी	4.97	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	339.88	2,520.97	एनडी	339.88	261.44	421.91
3.	अरुणाचल प्रदेश	26.84	217.82	65.35	92.19	22.32	0.06
4.	असम	780.58	5,198.78	2,059.63	2,840.21	2,407.64	266.37
5.	बिहार	54.95	-	एनडी	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	521.03	1,277.27	191.59	712.62	252.39	256.51
7.	गोवा	0.40	4.32	एनडी	0.40	एनआर	एनआर
8.	गुजरात	947.97	2,420.14	एनडी	947.97	747.97	1,271.54
9.	हरियाणा	38.86	462.03	एनडी	38.86	17.27	176.99
10.	हिमाचल प्रदेश	90.56	916.53	137.48	228.04	138.96	13.83
11.	जम्मू एवं कश्मीर	660.69	2,112.86	633.86	1,294.55	995.18	87.75
12.	झारखंड	263.46	2,114.22	एनडी	263.46	108.24	280.12
13.	कर्नाटक	914.11	3,804.41	570.66	1,484.77	673.00	2,649.01
14.	केरल	106.45	1,949.36	974.68	1,081.13	795.95	783.63
15.	लद्दाख	65.00	624.78	93.72	158.72	53.94	एनआर
16.	लक्षद्वीप	29.06	0.75	0.38	29.44	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	91.39	4,044.70	2,622.35	2,713.74	2,546.34	2,529.02
18.	महाराष्ट्र	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	1,984.70	2,227.36
19.	मणिपुर	44.93	-	एनडी	44.93	24.81	1.12
20.	मेघालय	296.90	653.60	196.08	492.98	449.85	53.21
21.	मिजोरम	7.85	45.09	6.76	14.61	12.03	7.32
22.	नागालैंड	39.75	39.75	5.96	45.71	45.54	5.08
23.	ओडिशा	484.23	2,455.94	368.39	852.62	513.73	511.19
24.	पुदुचेरी	0.01	12.58	एनडी	0.01	एनआर	0.01
25.	पंजाब	15.97	644.54	एनडी	15.97	2.93	45.58
26.	राजस्थान	786.95	11,061.46	1,659.22	2,446.17	2,164.79	1,022.32
27.	सिक्किम	11.92	124.50	18.67	30.59	18.68	7.91
28.	तमिलनाडु	813.15	2,438.89	731.67	1,544.82	1,267.97	1,274.10
29.	तेलंगाना	26.06	-	एनडी	26.06	एनआर	एनआर
30.	त्रिपुरा	111.10	736.75	221.03	332.13	287.34	29.43
31.	उत्तर प्रदेश	851.83	12,621.95	6,310.98	7,162.81	6,928.90	8,598.20
32.	उत्तराखंड	232.51	1,016.80	508.40	740.91	253.12	एनआर
33.	पश्चिम बंगाल	953.19	5,049.98	2,524.99	3,478.18	2,596.57	2,833.52
	कुल	**11,212.02**	**69,926.68**	**21,507.73**	**32,719.75**	**25,571.60**	**25,353.09**

दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2023-24 के दौरान आबंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.20	7.52	3.76	5.96	0.99	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	407.42	6,530.49	793.57	1,200.99	861.11	939.08
3.	अरुणाचल प्रदेश	310.77	1,057.11	771.21	1,081.98	1,055.15	137.77
4.	असम	2,447.48	10,351.68	6,204.00	8,651.48	7,870.90	866.11
5.	बिहार	54.95	-	एनडी	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	274.38	4,485.60	2,885.56	3,159.94	2,638.91	2,627.12
7.	गोवा	0.92	11.25	11.25	12.17	11.76	11.25
8.	गुजरात	1,088.66	2,982.85	2,237.14	3,325.80	2,377.83	2,676.40
9.	हरियाणा	101.93	1,053.44	526.72	628.65	589.79	687.56
10.	हिमाचल प्रदेश	548.18	379.67	402.34	950.52	859.96	97.18
11.	जम्मू एवं कश्मीर	903.84	9,611.31	3,267.12	4,170.96	3,510.26	364.69
12.	झारखंड	528.81	4,722.76	2,875.35	3,404.16	3,140.70	3,291.53
13.	कर्नाटक	1,184.01	12,623.37	4,966.62	6,150.63	5,236.52	6,015.14
14.	केरल	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
15.	लद्दाख	280.66	477.11	131.07	411.73	346.73	एनआर
16.	लक्षद्वीप	9.25	39.63	19.82	29.07	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,060.06	10,297.86	5,419.90	6,479.96	6,388.57	6,390.54
18.	महाराष्ट्र	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,370.96
19.	मणिपुर	164.42	110.54	एनडी	164.42	119.49	18.75
20.	मेघालय	369.04	3,567.25	1,500.00	1,869.04	1,572.14	171.74
21.	मिजोरम	121.27	425.46	303.10	424.37	416.52	43.77
22.	नागालैंड	19.57	366.86	314.90	334.47	294.71	44.02
23.	ओडिशा	817.27	2,108.54	2,108.54	2,925.81	2,441.58	2,428.16
24.	पुदुचेरी	5.40	15.39	1.00	6.40	6.39	0.62
25.	पंजाब	-	479.02	119.76	119.76	103.79	166.43
26.	राजस्थान	3,435.49	3,019.94	250.00	3,685.49	2,898.54	3,903.05
27.	सिक्किम	79.29	634.55	251.61	330.90	318.98	29.67
28.	तमिलनाडु	813.55	3,615.56	2,617.10	3,430.65	2,617.49	2,612.30
29.	तेलंगाना	26.06	-	एनडी	26.06	एनआर	एनआर
30.	त्रिपुरा	227.01	1,773.40	744.18	971.19	860.09	105.25
31.	उत्तर प्रदेश	3,007.30	20,884.45	16,947.00	19,954.30	19,102.47	20,285.30
32.	उत्तराखंड	284.48	4,689.69	1,890.66	2,175.14	1,942.63	236.81
33.	पश्चिम बंगाल	1,751.06	3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11
	कुल	**23,331.09**	**132,936.83**	**69,885.01**	**93,216.10**	**82,208.50**	**69,093.08**

दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2022-23 के दौरान आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.63	9.15	2.16	2.79	0.60	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	712.13	3,458.20	एनडी	712.13	304.71	98.38
3.	अरुणाचल प्रदेश	450.59	1,116.35	1,116.35	1,566.94	1,256.17	181.27
4.	असम	1,819.22	6,117.61	4,588.21	6,407.43	3,959.95	442.75
5.	बिहार	54.95	4,766.90	एनडी	54.95	एनआर	66.19
6.	छतीसगढ़	147.09	2,223.98	2,223.98	2,371.07	2,096.70	2,079.12
7.	गोवा	11.95	49.98	एनडी	11.95	11.04	20.14
8.	गुजरात	583.39	3,590.16	3,590.16	4,173.55	3,084.89	3,272.38
9.	हरियाणा	158.71	1,157.44	463.00	621.71	519.77	447.46
10.	हिमाचल प्रदेश	818.89	1,344.94	1,344.94	2,163.83	1,615.65	182.29
11.	जम्मू एवं कश्मीर	605.71	3,039.11	1,439.50	2,045.21	1,141.38	153.69
12.	झारखंड	199.52	2,825.52	2,119.14	2,318.66	1,789.85	1,593.00
13.	कर्नाटक	1,264.11	5,451.85	2,725.93	3,990.04	2,806.03	3,237.49
14.	केरल	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
15.	लद्दाख	262.25	1,555.77	382.76	645.01	364.34	एनआर
16.	लक्षद्वीप	-	36.99	9.25	9.25	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	2,820.51	4,586.93	3,526.87	3,516.37
18.	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,967.95
19.	मणिपुर	142.03	512.05	256.03	398.06	233.64	26.03
20.	मेघालय	420.52	747.76	1,047.00	1,467.52	1,098.48	122.85
21.	मिजोरम	80.08	333.91	448.58	528.66	407.40	45.74
22.	नागालैंड	17.00	484.28	484.28	501.28	481.71	52.71
23.	ओडिशा	1,214.54	3,608.62	1,768.73	2,983.27	2,166.00	2,143.19
24.	पुदुचेरी	6.34	17.83	एनडी	6.34	0.94	0.22
25.	पंजाब	264.78	2,403.46	एनडी	264.78	264.80	210.69
26.	राजस्थान	1,288.79	13,328.60	6,081.80	7,370.59	3,935.10	4,123.31
27.	सिक्किम	112.90	136.17	188.92	301.82	222.53	20.63
28.	तमिलनाडु	534.30	4,015.00	872.96	1,407.26	593.71	663.13
29.	तेलंगाना	37.44	1,657.56	एनडी	37.44	11.39	13.52
30.	त्रिपुरा	175.78	666.97	849.91	1,025.69	798.67	82.64
31.	उत्तर प्रदेश	3,160.84	12,662.05	9,496.54	12,657.38	9,650.07	9,259.84
32.	उत्तराखंड	590.75	1,612.50	1,209.38	1,800.13	1,515.65	163.77
33.	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21
	कुल	**19,510.05**	**100,789.77**	**54,742.30**	**74,252.35**	**50,663.23**	**40,132.64**

दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2021-22 के दौरान आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	1.95	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	155.09	3,182.88	791.06	946.15	234.02	233.84
3.	अरुणाचल प्रदेश	8.43	1,013.53	1,555.53	1,563.96	1,113.37	117.99
4.	असम	123.78	5,601.16	4,200.87	4,324.65	2,505.42	312.89
5.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	58.95	4.00	336.79
6.	छत्तीसगढ़	168.54	1,908.96	477.24	645.78	498.69	488.63
7.	गोवा	3.21	45.53	22.77	25.98	14.03	17.98
8.	गुजरात	150.28	3,410.61	2,557.96	2,708.24	2,124.85	2,226.25
9.	हरियाणा	32.51	1,119.95	559.98	592.49	433.78	430.31
10.	हिमाचल प्रदेश	226.89	1,262.78	2,012.78	2,239.67	1,420.78	149.71
11.	जम्मू एवं कश्मीर	113.96	2,747.17	604.18	718.14	112.43	8.31
12.	झारखंड	124.51	2,479.88	512.22	636.73	437.21	510.99
13.	कर्नाटक	178.39	5,008.80	2,504.40	2,682.79	1,418.68	1,567.62
14.	केरल	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
15.	लद्दाख	66.52	1,429.96	340.68	407.20	144.96	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	3,837.59	4,029.20	2,262.78	2,479.33
17.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
18.	मणिपुर	15.62	481.19	601.19	616.81	474.78	52.80
19.	मेघालय	14.18	678.39	1,078.39	1,092.57	672.05	76.55
20.	मिजोरम	27.17	303.89	303.89	331.06	250.98	32.31
21.	नागालैंड	28.52	444.81	333.61	362.13	345.14	27.88
22.	ओडिशा	27.77	3,323.42	2,492.56	2,520.33	1,305.79	1,288.36
23.	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	8.66	2.32	0.10
24.	पंजाब	110.36	1,656.39	402.24	512.60	247.83	265.70
25.	राजस्थान	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,919.83	1,693.61
26.	सिक्किम	8.23	124.79	194.79	203.02	90.12	11.57
27.	तमिलनाडु	377.58	3,691.21	614.35	991.93	457.63	496.16
28.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	55.15	17.70	68.88
29.	त्रिपुरा	61.51	614.09	714.09	775.60	599.82	65.13
30.	उत्तर प्रदेश	454.07	10,870.50	5,435.25	5,889.32	2,728.48	2,935.18
31.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	1,082.85	1,194.07	603.31	67.99
32.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77
	कुल	**4,825.92**	**92,308.77**	**40,009.77**	**44,835.70**	**25,325.67**	**18,226.18**

दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2020-21 के दौरान आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.50	2.93	1.46	1.96	1.45	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	419.30	181.31
3.	अरुणाचल प्रदेश	56.02	254.85	344.85	400.87	392.43	47.15
4.	असम	452.45	1,608.51	551.77	1,004.22	880.44	91.08
5.	बिहार	257.18	1,839.16	353.60	610.78	551.82	374.42
6.	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	392.31	223.77	221.04
7.	गोवा	-	12.41	6.20	6.20	2.99	13.49
8.	गुजरात	5.70	883.08	983.08	988.78	838.50	883.43
9.	हरियाणा	90.80	289.52	72.38	163.18	130.67	120.09
10.	हिमाचल प्रदेश	8.42	326.20	547.48	555.90	329.01	42.25
11.	जम्मू एवं कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
12.	झारखंड	268.08	572.24	143.06	411.14	286.62	177.73
13.	कर्नाटक	81.65	1,189.40	446.36	528.01	349.62	428.26
14.	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
15.	लद्दाख	75.96	352.09	एनडी	75.96	9.43	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.13	960.09	1,206.30	1,014.70	876.84
17.	महाराष्ट्र	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
18.	मणिपुर	62.96	131.80	141.80	204.76	189.14	18.52
19.	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.48	188.30	20.44
20.	मिजोरम	30.77	79.30	104.30	135.07	107.90	10.13
21.	नागालैंड	34.90	114.09	85.57	120.47	91.95	10.00
22.	ओडिशा	105.07	812.15	609.11	714.18	686.41	671.98
23.	पुदुचेरी	0.30	4.64	1.06	1.38	0.20	1.00
24.	पंजाब	257.10	362.79	एनडी	257.10	146.74	152.77
25.	राजस्थान	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	815.90
26.	सिक्किम	12.30	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
27.	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.87	399.57
28.	तेलंगाना	31.10	412.19	82.71	116.32	61.17	133.98
29.	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	256.52	195.00	22.26
30.	उत्तर प्रदेश	933.25	2,570.94	1,295.47	2,228.72	1,774.65	885.89
31.	उत्तराखंड	66.60	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
32.	पश्चिम बंगाल	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17
	कुल	**6,447.36**	**23,033.02**	**10,917.86**	**17,370.45**	**12,544.51**	**7,905.45**

दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया

जल जीवन मिशन: वर्ष 2019-20 के दौरान आबंटित केंद्रीय निधि, राज्यों द्वारा आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	1.78	0.50	0.50	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	60.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	127.68	13.05
4.	असम	359.35	694.95	442.36	811.32	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	38.52
7.	गोवा	-	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
8.	गुजरात	-	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
9.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.80
10.	हिमाचल प्रदेश	-	148.67	205.83	205.83	197.41	15.46
11.	जम्मू एवं कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
12.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	382.97	114.89	120.78
13.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	491.01	298.70
14.	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
15.	लद्दाख	8.10	166.65	67.86	75.96	एनआर	0.61
16.	मध्य प्रदेश	1.26	571.60	571.60	572.86	326.65	288.75
17.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	431.79
18.	मणिपुर	-	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
19.	मेघालय	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
20.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
21.	नागालैंड	-	56.49	56.49	58.44	23.54	4.67
22.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	260.46	241.12
23.	पुदुचेरी	1.27	2.50	एनडी	1.27	0.97	एनआर
24.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
25.	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	702.35
26.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	27.02	14.71	1.48
27.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.10	378.67	114.58	99.14
28.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	119.43	88.33	72.89
29.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	195.90	59.45	6.48
30.	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	638.22	379.17
31.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
32.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	469.54
	कुल	**2,436.37**	**11,139.21**	**9,951.81**	**12,430.86**	**5,983.49**	**4,090.79**

दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं